


तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 81/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए
20-5-25	<p>प्रार्थी के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। चूंकि मूल अपील आज निर्णित होकर खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)</p>	